



आगरा विकास प्राधिकरण,

जयपुर हाउस, आगरा।

प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम व कालिन्दी विहार योजना में
लोकल शॉप, फैंसिलिटीज व व्यवसायिक हेतु भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

नीलामी सूचना

स्थल:- नवीन सभागार, प्रथम तल, नई बिल्डिंग आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय।

दिनांक:- 22/01/2021

समय:-12:00 बजे


क्र० सं०	योजना	आरक्षित श्रेणी	फेस/सेक्टर	भूखण्ड संख्या	प्रायिक भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्र(वर्गमी०)	अनुमन्य उपयोग	आरक्षित दर (रु०/व.मी.)	घरोहर राशि (रु० लाख में) 10 प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	बी	1	246.61	लोकल शॉप	26181.00	6.46
2.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	सी-1	एक-2/1	440.79	फैंसिलिटीज	26181.00	11.54
3.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति	सी-1	एक-2/2	305.64	फैंसिलिटीज	26181.00	8.00
4.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	सी-1	एक-1/2	710.60	फैंसिलिटीज	26181.00	18.60
5.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति	सी-2	एक-1/1	774.60	फैंसिलिटीज	26181.00	20.28
6.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	सी-2	एक-1/2	1076.83	फैंसिलिटीज	26181.00	28.19
7.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	सी-2	एक-1/3	927.82	फैंसिलिटीज	26181.00	24.29
8.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	ई	ईसी-1/1	852.44	व्यवसायिक	26181.00	22.32
9.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	ई	ईसी-1/2	709.27	व्यवसायिक	26181.00	18.57
10.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	ई	ईसी-1/3	700.65	व्यवसायिक	26181.00	18.34
11.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	ई	ईसी-1/4	869.83	व्यवसायिक	26181.00	22.77
12.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	एफ	सी-1/1	500.75	व्यवसायिक	26181.00	13.11
13.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	एफ	सी-1/2	793.19	व्यवसायिक	26181.00	20.77
14.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	एफ	सी-1/3	616.78	व्यवसायिक	26181.00	16.15
15.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	एफ	सी-1/4	611.15	व्यवसायिक	26181.00	16.00
16.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति	एफ	सी-1/5	754.25	व्यवसायिक	26181.00	19.75
17.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	बी-1	सी-2/1	974.57	व्यवसायिक	26181.00	25.52
18.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	बी-1	सी-2/2	916.37	व्यवसायिक	26181.00	23.99
19.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति	बी-1	सी-2/3	697.00	व्यवसायिक	26181.00	18.25
20.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	बी-1	सी-2/4	570.50	व्यवसायिक	26181.00	14.94
21.	शास्त्रीपुरम योजना	अनुजाति वर्ग	बी-1	सी-2/5	510.97	व्यवसायिक	26181.00	13.38
22.	शास्त्रीपुरम योजना	सामान्य	बी-1	सी-2/6	391.34	व्यवसायिक	26181.00	10.25
23.	कालिन्दी विहार	अनुजाति वर्ग	सी	सी-1/1	435.71	व्यवसायिक	34000.00	14.81
24.	कालिन्दी विहार	अनुजाति	सी	सी-1/2	419.19	व्यवसायिक	34000.00	14.25
25.	कालिन्दी विहार	सामान्य	सी	सी-1/3	421.36	व्यवसायिक	34000.00	14.32

नोट:-

- नीलामी प्रपत्र (विस्तृत नियम व शर्तों) प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में रु० 1120/- जमा करवाकर प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 से नीलामी प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- भूखण्ड कॉर्नर होने पर 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- बोली हेतु वांछित निर्धारित धनराशि जमा होने के उपरान्त बोली के ऐसे इच्छुक आवेदकों को एक टोकन निर्गत किया जायेगा। टोकन के आधार पर ही नीलामी हॉल में प्रवेश अनुमन्य होगा।
- रिक्त सम्पत्ति में शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षित है। आरक्षित आवेदकों को बोली से पूर्व अधिकृत आरक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- रिक्त सम्पत्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- ग्राउण्ड कवरेज/एफ.ए.आर./ऊँचाई (मी०) भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य होगी।
- घरोहर राशि प्राधिकरण कार्यालय स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जयपुर हाउस आगरा खाता सं० 540002010106535 आई.एफ.एस.सी. कोड UBIN0554006 में आर.टी.जी.एस के माध्यम से नीलामी दिनांक से एक दिन पूर्व बैंक कार्य अवधि में जमा करानी होगी तथा धनराशि की रसीद उसी दिन प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग में उपलब्ध करानी होगी।
- किसी भी नीलामी को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को होगा।

9. आवेदक द्वारा नीलामी से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कराकर भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित नीलामी शर्तों का पूर्ण रूपेण अध्ययन कर सहमति की दशा में ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।
10. सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है, की स्थिति के अनुसार किया जायेगा। विकास कार्य के रूप में अन्य कोई व्यय नहीं किया जायेगा।
11. भूखण्ड की समस्त धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही भूखण्ड/सम्पत्ति का विक्रय विलेख व कब्जा हस्तगत कराया जायेगा।
12. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलाम स्वीकृत होने की तिथि से एक माह के भीतर सामान्य प्रक्रिया के तहत वापिस की जायेगी।
13. उपरोक्त शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.in पर किया जा सकता है। नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं0 34 से प्राप्त की जा सकती है।
14. धनराशि वापिसी हेतु केन्सिल चैक आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
15. किसी भी समस्या के लिये सचिव ~~सहायक~~ के दूरभाष नम्बर-7088042345 एवं संयुक्त सचिव के दूरभाष नम्बर 7055126777 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


सोमकमल सीताराम
संयुक्त सचिव


राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
सचिव

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
उपाध्यक्ष